निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 32 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सहायक गन्ना आयुक्त, उधमसिंह नगर (रुद्रपुर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त, उधमसिंह नगर (रुद्रपुर) के माह 11/2015 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 29/07/2018 से 06/08/2018 तक श्री सी.एस.बोहरा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह एवं श्री आर०एन०यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो तथा श्री दीपेश कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 04.11.2015 से 19.11.2015 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2013 से 10/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2015 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** गन्ना विकास कार्यो का क्रियान्वयन एवं उत्तम गुणवत्ता युक्त चीनी का कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन जनपद-उधमसिंह नगर एवं नैनीताल ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	650.30	650.30	145.91	145.91	-	-
2016-17	-	-	750.14	750.14	86.85	86.85	-	-
2017-18	-	-	850.81	850.81	94.00	94.00	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
2015-16	RKVY	9.25	-	9.25	-	-
	NFSM	-	11.88	11.88	-	-
	आतमा	-	2.01	2.01	-	-
2016-17	RKVY	-	-	-	-	-
	NFSM	-	5.03	5.03	-	-
	आतमा	-	-	-	-	-
2017-18	RKVY	-	-	-	-	-
	NFSM	-	4.20	4.20	-	-
	आतमा	-	1.09	1.09	-	-

(ii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'बी'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

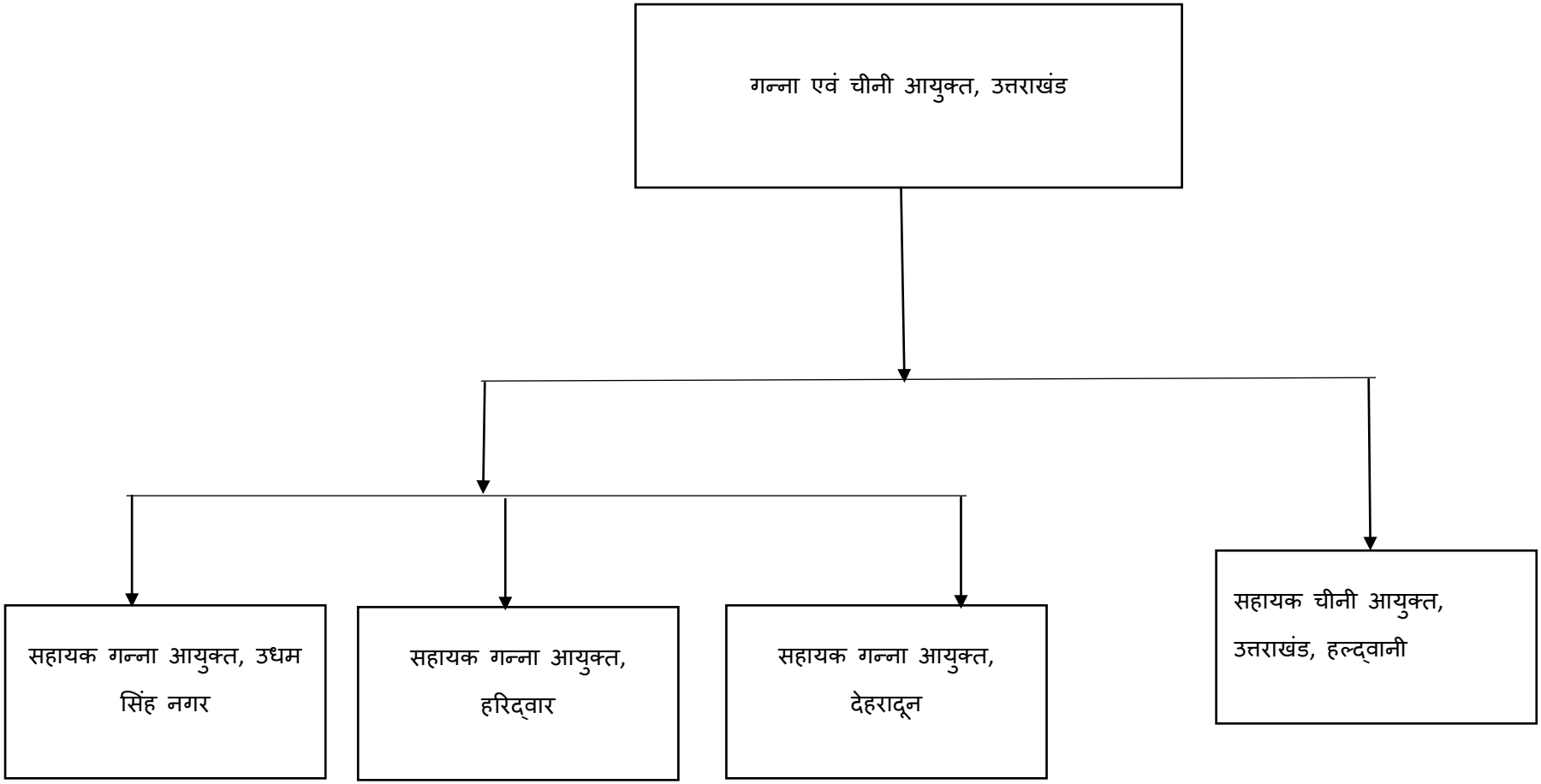
गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखंड
सहायक गन्ना आयुक्त, उधम सिंह नगर
सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार
सहायक गन्ना आयुक्त, देहरादून
सहायक चीनी आयुक्त, उत्तराखंड, हल्द्वानी

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त, उधमसिंह नगर (रुद्रपुर)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त, उधमसिंह नगर (रुद्रपुर)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2015 एवं 09/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:-01 प्रदेश की चीनी मिल को बंद किए जाने से उससे सम्बन्ध गन्ना कृषकों के गन्ने को उत्तर प्रदेश की चीनी मिल को हस्तांतरित किया गया परंतु अधिनियम के प्रविधानों के विपरीत पेराई सत्र 2017-18 का गन्ना मूल्य एवं कमीशन `10.41 करोड़ प्रदेश के गन्ना कृषकों का भुगतान लम्बित रहना।

Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) के अधिनियम 1953 की धारा 17 एवं गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के खंड 3 के अनुसार गन्ना क्रय की तिथि से 14 दिवस के अंदर गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान किए जाने का प्राविधान किया हैं। इसके उपरांत ब्याज सहित भुगतान का प्राविधान हैं। अधिनियम के पैरा 49 के अनुसार गन्ना मूल्य के अतिरिक्त 3% की दर से सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को कमीशन दिये जाने का प्रविधान हैं। कमीशन का 75% सहकारी गन्ना विकास समितियों को एवं 25% गन्ना विकास परिषदों को प्राप्त होना था जिसके द्वारा कर्मचारियो/अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं क्षेत्र के विकास के कार्य किए जाने थे।

सहायक गन्ना आयुक्त, ऊधम सिंह नगर के अभिलेखों की जांच मे पाया गया हैं कि उत्तराखंड शासन द्वारा दिनांक-05.12.2017 को सहकारी चीनी मिल्स, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर को तत्कालिक प्रभाव से बंद किया गया। उत्तर प्रदेश की सहमति के अनुसार उत्तराखंड सरकार द्वारा कतिपय गन्ना क्रय केन्द्रों से सम्बन्ध कृषकों को पेराई सत्र 2017-18 हेतु सितारगंज एवं खटीमा के आवंटित क्रय केन्द्रों, जिनका क्षेत्रफल 2469 हे0 एवं गन्ना उत्पादन 17.04 लाख कु0 हैं, गन्ने का विक्रय चीनी मिल केसर इण्टरप्राइजेज़ लिमिटेड, बहेड़ी, जनपद बरेली(उत्तर प्रदेश) को गन्ना खरीद किए जाने का निर्देश दिया गया। उत्तराखंड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियम) अधिनियम 1953 की धारा 17 एवं गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के खंड 3 के अनुसार गन्ना आपूर्ति के 14 दिवस के भीतर गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान किए जाने का प्राविधान के अनुसार भुगतान करने के निर्देश दिये गए थे। विवरण अनुसार आतिथि तक निम्न अवशेष हैं।

	देय (लाख मे)	**भुगतान (लाख मे)**	**अवशेष (लाख मे)**
गन्ना क्रय	2522.77	1526.01	996.76
गन्ना विकास कमीशन	62.45	18.23	44.22
योग	2585.22	1544.24	**1040.98**

संप्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया कि चीनी मिल केसर इण्टरप्राइजेज़ लिमिटेड, बहेड़ी, जनपद बरेली(उत्तर प्रदेश) द्वारा चीनी बिक्री से प्राप्त धनराशि से तदनुसार भुगतान

किया जाएगा। इस संबंध मे उच्चाधिकारियों एवं केसर इण्टरप्राइजेज़ लिमिटेड, बहेड़ी, जनपद बरेली (उत्तर प्रदेश) को निरंतर पत्राचार किया जा रहा हैं।

इकाई का उत्तर संतोषजंक न होने से प्रदेश के गन्ना कृषकों का गन्ना मूल्य पेराई सत्र 2017-18 (गन्ना क्रय अवधि अक्टूबर से अप्रैल) के बीत जाने के उपरांत भी अभी तक गन्ना क्रय मूल्य लम्बित हैं।

अत:प्रदेश की चीनी मिल को बंद किए जाने से उससे सम्बन्ध गन्ना कृषकों के गन्ने को उत्तर प्रदेश की चीनी मिल को हस्तांतरित किया जाने परंतु अधिनियम के प्रविधानों के विपरीत पेराई सत्र 2017-18 का गन्ना मूल्य एवं कमीशन `10.41 करोड़ प्रदेश के गन्ना कृषकों का भुगतान अभी तक लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर–2 चीनी मिलों एवं गन्ना परिषदों के द्वारा अपने देय अंश का पूर्ण रूपेण भुगतान न करने के कारण कृषकों के उपर रू0 49.81 लाख का अतिरिक्त व्यय भार।

कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त, उधमसिंह नगर (रूद्रपुर) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जांच (08/2018) में पाया गया कि गन्ना विकास विभाग उधमसिंह नगर को जिला योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाली उन्नतिशील गन्ना बीज उत्पादन हेतु के अन्तर्गत तीन उप योजनाओं पौधशाला अधिष्ठापन, बीज/भूमि उपचार कार्यक्रम तथा पेड़ी प्रबन्ध कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। बीज/भूमि उपचार कार्यक्रम तथा पेड़ी प्रबन्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान देय था जिसमें राज्यांश 25%, परिषद का अंश 10% तथा चीनी मिल का अंश 15% था। इस प्रकार उक्त दोनों कार्यक्रमों के तहत किसानों को दिये गये राज्यांश तथा उसके सापेक्ष कार्यक्रम/योजना की अनुमोदित परिव्यय, राज्यांश, गन्ना परिषद एवं चीनी मिल का देय अंश तथा भुगतान की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत था :–

वर्ष	नाम कार्यक्रम/योजना	अनुमोदित परिव्यय	जिलाधिकारी स्तर से अवमुक्त राज्यांश धनराशि	भुगतान की जाने वाली अनुदान धनराशि (50%) का विवरण						
				राज्यांश(25%) जिला योजना के माध्यम से	गन्ना परिषद के माध्यम से @10%			चीनी मिल के माध्यम से @15%		
					कुल देय धनराशि	कुल भुगतान की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि	कुल देय धनराशि	कुल भुगतान की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2015–16	(1) बीज/भूमि उपचार कार्यक्रम	23.01	23.01	23.01	9.20	9.20	–	13.80	5.35	8.45
	(2) पेड़ी प्रबन्ध कार्यक्रम	10.00	10.00	10.00	4.00	4.00	–	6.00	2.07	3.93
2016–17	(1) बीज/भूमि उपचार कार्यक्रम	19.55	18.55	18.55	7.42	7.42	–	11.13	5.08	6.05

	(2) पेड़ी प्रबन्ध कार्यक्रम	**15.00**	15.00	15.00	6.00	6.00	–	9.00	3.81	5.19
2017–18	(1) बीज/भूमि उपचार कार्यक्रम	**14.30**	14.30	14.30	5.72	1.93	3.79	8.58	1.39	7.19
	(2) पेड़ी प्रबन्ध कार्यक्रम	**20.00**	20.00	20.00	8.00	3.43	4.57	12.00	1.38	10.62
	योग	**101.86**	100.86	100.86	40.34	31.98	**8.36**	60.51	19.08	**41.43**

वर्ष 2015–16 से गन्ना विकास योजना के अन्तर्गत बीज/भूमि उपचार एवं पेड़ी प्रबन्ध कार्यक्रम मे उपयोग किये जाने वाले कृषि रक्षा रसायनों को गन्ना विकास समितियों के माध्यम से गन्ना उत्पादकों/किसानों द्वारा कृषि रसायन क्रय करने की व्यवस्था लागू थी। गन्ना उत्पादक/किसान द्वारा गन्ना विकास समितियों से उपयोग किये जाने वाले कृषि रक्षा रसायनों को उसकी पूरी कीमत पर क्रय किये जाने की व्यवस्था थी, तत्पश्चात गन्ना उत्पादक/किसान को कृषि रक्षा रसायन की पूरी कीमत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप मे प्राप्त होना था। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 तक गन्ना विकास विभाग उधमसिंह नगर को जिला योजना के अन्तर्गत (1) बीज/भूमि उपचार कार्यक्रम तथा (2) पेड़ी प्रबन्ध कार्यक्रम के तहत राज्यांश (25%) अनुदान के रूप **में** कुल रू0 100.86 लाख किसानों को दिया गया। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 तक उक्त कार्यक्रम/योजना के तहत राज्यांश के रूप में किसानों को दिये गये अनुदान की धनराशि के सापेक्ष परिषदों (10प्रतिशत) द्वारा किसानों को दिये जाने वाले अनुदान के देय अंश की कुल धनराशि रू0 40.34 लाख थी जिसके सापेक्ष परिषदों द्वारा केवल रू0 31.98 लाख का भुगतान किया गया तथा रू0 8.36 लाख का भुगतान किया जाना अवशेष था। 2017–18 तक उक्त कार्यक्रम/योजना के तहत राज्यांश के रूप में किसानों को दिये गये अनुदान की धनराशि के सापेक्ष चीनी मिलों (15प्रतिशत) द्वारा किसानों को दिये जाने वाले

अनुदान के देय अंश की कुल धनराशि रू0 60.51 लाख थी जिसके सापेक्ष चीनी मिलों द्वारा केवल रू0 19.08 लाख का भुगतान किया गया तथा रू0 41.43 लाख का भुगतान किया जाना अवशेष था। इस प्रकार चीनी मिलों एवं गन्ना परिषदों के द्वारा अपने देय अंश का पूर्ण रूपेण भुगतान न करने के कारण कृषकों के उपर रू0 49.81 लाख का अतिरिक्त व्यय भार करना पड़ा।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि मांग पत्र सम्बन्धित चीनी मिलों को प्रेषित किये जाने के उपरान्त चीनी मिल द्वारा गन्ना विकास परिषद अथवा समिति को अनुदान उपलब्ध कराये जाने के पश्चात अनुदान धनराशि कृषकों के खाते में स्थानान्तरित की जा रही है। समय–समय पर सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद/ गन्ना समिति द्वारा अनुदान 15 प्रतिशत धनराशि के सन्दर्भ में बिल/मांगपत्र चीनी मिलों को प्रेषित किये गये है। चीनी मिल से वर्ष 2017–18 की गन्ना कमीशन की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त रू0 8.36 लाख शेष धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा। इकाई के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि अनुदान धनराशि का पूरा भुगतान कृषकों को नही किया जा सका था।

अतः चीनी मिलों एवं गन्ना परिषदों के द्वारा अपने देय अंश का पूर्ण रूपेण भुगतान न करने के कारण कृषकों के **ऊपर** रू0 49.81 लाख का अतिरिक्त व्यय भार पड़ने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–।।।

थ्वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1.	**58/2006-07**	**1**	**1, 2**	**-**
2.	**12/2009-10**	**1**	**1**	**-**
3.	**45/2013-14**	**1**	**1, 2**	**-**
4.	**83/2015-16**	**1**	**-**	**1**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षादल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी।

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1.कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु सहायक गन्ना आयुक्त, उधमसिंहनगर (रूद्रपुर) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। **तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :**

(i)विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

(ii) विगत नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

2. सतत् अनियमितताएं :

(i)शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(1)	श्री धर्मवीर सिंह	सहायक गन्ना आयुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति सहायक गन्ना आयुक्त, उधमसिंह नगर (रूद्रपुर) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक–II